राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ.1(बी)(3)(24)सीटीएडी/2018/ दिनांक :

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक–एफ.1(6)प्र.सु./अनु–3/2017 दिनांक 14.02.2019 द्वारा इस विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer trainee) के रूप में पुर्णतया अस्थाई रूप में नियत पारिश्रमिक (Fix pay) राशि रू. 14600/– (रू. चौदह हजार छः सौ मात्र) प्रतिमाह की दर पर नियुक्त किया जाता है।

उक्त परीवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम–16 एवं अनुसूची–4 में अंकित पे–मैट्रिक्स लेवल–5 पर उनके नाम के आगे अंकित कार्यालयों में नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	मेरिट सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	कार्यालय का नाम
1	4108 Reshuffle List	श्री सतवीर सैनी	श्री गुरूचरण सैन	OBCM	05.02.1993	संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
2	4131 Reshuffle List	श्री रामराज	श्री गोपाललाल	OBCM	05.04.1992	संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
3	232 Reserve List	श्री विनोद कुमार शर्मा	श्री मुरारीलाल शर्मा	GENM	16.10.1979	संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
4	310 Reserve List	श्री नवीन कुमार दाधीच	श्री कमलाकान्त दाधीच	GENM	28.12.1992	आवासीय विद्यालय (कन्या) शाहबाद
5	442 Reserve List	श्री सतीश पुरोहित	स्व. श्री देवीलाल पुरोहित	GENM	02.10.1982	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
6	467 Reserve List	श्री गोपालकृष्ण शर्मा	श्री रतनलाल शर्मा	GENM	30.05.1986	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
7	492 Reserve List	श्री राहुल गौड़	श्री हरिशंकर गौड़	GENM	09.03.1993	अतिरिक्त आयुक्त (III) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), जयपुर
8	858 Reserve List	श्री जितेन्द्र डोगीवाल	श्री सुरेन्द्र कुमार	OBCM	02.07.1993	राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग, जयपुर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

1 SAHELI MARG, CHETAK CIRCLE, UDAIPUR EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2411417
E- Mail : comm.tad@gmail.com, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

3. उक्त नियुक्तियां आवंटित पदों के सम्बन्ध में डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.2018 को पारित निर्णय की पालना में दिनांक 28.04.2018 को घोषित परिणाम तथा एस.बी.सी. रिट पिटिशन संख्या 11497/2017 धारा सिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.07.2017 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
4. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प. 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
5. परीवीक्षा काल (Probation period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होगें।
8. अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी मेरिट अनुसार रहेगी।
9. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं.-एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
12. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक-एफ.6(4)वित्त/ नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के प्रावधान लागू नहीं होगे एवं वित्त विभाग, राजस्थान-जयपुर के आदेश क्रमांक-एफ.6(5) वित्त/नियम/99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिकल बीमा योजना लागू होगी।
13. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक-एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स 2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 व परिशिष्ठ IV के अन्तर्गत नियम पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होगें।
14. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

16. कार्यभार ग्रहण के समय उपलब्ध करवाये जाने वाले दस्तावेज :–

क प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी यथा मेडिकल ज्यूरिस्ट/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं महिला के सम्बन्ध में महिला चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ख जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

ग अभ्यर्थी को यह भी लिखित में देना होगा कि इनके द्वारा इस पद पर नियुक्ति से पूर्व किन–किन विभागों में किस–किस पद हेतु आवेदन पत्र दिए हुए है तथा किस–किस शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदन किया गया है साथ ही इनको कार्यग्रहण करने के पश्चात भविष्य में किसी पद हेतु आवेदन करने या प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व तथा अग्रिम अध्ययन (Further Study) के लिए परीक्षा फार्म भरने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।

17. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष अभ्यर्थी के मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर ले कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण कर रहा है, जिसका आवेदन पत्र पर छाया (फोटो) चस्पा है।

(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त

क्रमांक– एफ.1(बी)(3)(24)सीटीएडी/2018/ 11241–58 दिनांक 5/3/2019

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त कलक्टर एवं पदेन परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद (बारां)।
8. सचिव, राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय (कन्या) शाहबाद।
10. सम्बन्धित अभ्यार्थी श्री ________________
11. ________________
12. लेखा शाखा (दो प्रतियों में), कार्यालय हाजा।
13. निजी पत्रावली श्री ________________
14. आदेश पत्रावली।

आयुक्त

1 SAHELI MARG, CHETAK CIRCLE, UDAIPUR EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2411417
E- Mail : comm.tad@gmail.com, Website :www.tad.rajasthan.gov.in